

**Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority ::  
Uttarakhand  
SOIL CONS. ALAKNANDA FOREST DIVISION**

Amount in lakh ₹

APO 2019-20

Plan	APO Physical	APO Financial
1	2	3
<b>NPV</b>		
Lantana Removal	67	2.50
Community Plantation and Mobilization ( Harela / Van Mahotsav etc.)	LS	1.00
<b>Sub Total NPV</b>		<b>3.50</b>
<b>NPV (1D)</b>		
Advance Soil Work for Pasture Development	99	29.70
Plantation for Pasture Development	10	2.20
Workshops and Training in VP's	4	0.80
Preparation of Micro Plans in VP	28	2.24
Soil & Water Conservation Works in VP	13	18.60
Management of invasive species in VP's	100	3.70
Fire Protection Activities in VP's	41	3.28
Creation of Boundary Pillars in VP	35	0.70
<b>Sub Total NPV (1D)</b>		<b>61.22</b>
<b>CA</b>		
Nursery Maintenance - CA	23149	0.95
Plantation Maintenance - CA	5.81	0.54
<b>Sub Total CA</b>		<b>1.49</b>
<b>CAT</b>		
Project Management - Tapovan Vishnugad	LS	17.30
Project Management - Vishnugad-Pipalkoti H.E.P.	LS	2.86
Preparatory Phase - Tapovan Vishnugad	LS	3.28
Watershed Development Works through integrated Demonstrative Models - Tapovan -Vishnugad	LS	124.90
Watershed Development Works through integrated Demonstrative Models - Vishnugad-Pipalkoti H.E.P	LS	50.21
<b>Sub Total CAT</b>		<b>198.55</b>
<b>Grand Total</b>		<b>264.76</b>

नोट:-

- उपरोक्त आवंटन परिव्यय है, इसे स्वीकृति न माना जाये। इस कार्यालय के स्तर से आवश्यकता अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।
- बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न किये जाये। कार्य तभी संपादित किये जायें जब उस कार्यमद हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा स्तर से धनराशि अवमुक्त हो जाये।
- उपरोक्त लक्ष्यों के सापेक्ष चरणबद्ध रूप से धनराशि आवंटित की जायेगी। प्रथम किस्त में आवंटित धनराशि के सापेक्ष कार्य प्रगति व समानान्तर में उसकी एम0आई0एस0 प्रविष्टि किये जाने के आधार पर ही शेष किस्तों का भुगतान किया जायेगा।
- स्ट्रेटेजिक बैरियरों का आधुनिकीकरण, पर्वतीय क्षेत्रों में पेट्रोलिंग सेल्टरों का निर्माण व वन रक्षक चौकियों का निर्माण कार्य प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के स्तर से जारी किये जाने वाले मानकों के अनुसार किया जायेगा।
- उपरोक्त परिव्यय में वनाग्नि सुरक्षा एवं मृदा एवं जल संरक्षण मदों की धनराशि सम्मिलित नहीं है।

*Pragati*